



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082024-256261
CG-DL-E-10082024-256261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3055]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2024/ श्रावण 16, 1946

No. 3055]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024/SHRAVANA 16, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2024

का.आ. 3204(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008, की धारा 2 के खण्ड 20 एफ (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (4) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य—निष्पादन, अनुपालन, प्रबन्धन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित राज्य में आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य निष्पादित करें

तालिका

क्रमांक	आर्बिट्रेटर	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
1.	2.	3.	4.
1.	जिलाधिकारी, जौनपुर	उत्तर प्रदेश	"जौनपुर जं—जाफराबाद रेल दोहरीकरण परियोजना (6.28 किमी)"

[फा. सं. 190-W/Land/Jaunpur]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण—द्वितीय

MINISTRY OF RAILWAYS
[Northern Railway(Construction Organization)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2024

S.O. 3204(E).—In exercise of the power conferred by clause 20 F (6) of section 2 of The Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below to Perform the functions of the Arbitrator in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publications of this notification in the officia

TABLE

S.No	Arbitrator	State	Name of Railway Project
1.	2.	3.	4.
1	District Magistrate, Jaunpur	Uttar Pradesh	“Doubling between Jaunpur Jn- Zafrabad (6.28Km)”

[F. No. 190-W/Land/Jaunpur]

SHYAM SINGH, Chief Administrative Officer/Const-II

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2024

का.आ. 3205(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008, की धारा 2 के खण्ड 7—ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम (4) में वर्णित रेलवे परियोजना के कार्य—निष्पादन, अनुपालन, प्रबन्धन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित राज्य में समक्ष प्राधिकारी के रूप में कार्य निष्पादित करें

तालिका

क्रमांक	समक्ष अधिकारी	राज्य	रेलवे परियोजन का नाम
1.	2.	3.	4.
1.	विशाल भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं०सं०), जौनपुर	उत्तर प्रदेश	“जौनपुर जं— जाफराबाद रेल दोहरीकरण परियोजना (6.28 किमी)”

[फा. सं. 190-W/Land/Jaunpur]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण—द्वितीय

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2024

S.O. 3205(E).—In exercise of the power conferred by clause 20 F (6) of section 2 of The Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below to Perform the functions of the Arbitrator in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the table, for execution maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publications of this notification in the official Gazette.

TABLE

S.No	Arbitrator	State	Name of Railway Project
1.	2.	3.	4.
1	District Magistrate, Jaunpur	Uttar Pradesh	“Doubling between Jaunpur Jn- Zafrabad (6.28Km)”

[F. No. 190-W/Land/Jaunpur]

SHYAM SINGH, Chief Administrative Officer/Const-II